डाटा संकलन एवं प्रकाशन की कार्यप्रणाली

क. डाटा संग्रह तथा संकलन प्रक्रिया

भारत में अपराध – **2023,** प्रकाशन वर्ष (**01** जनवरी से **31** दिसम्बर**, 2023)** कैलेंडर वर्ष से संबंधित अपराधों के आँकड़े प्रदान करता है। डाटा संकलन करने की प्रक्रिया संदर्भित अवधि (कैलेंडर वर्ष 2023) समाप्त होते ही जनवरी**, 2024** में प्रारंभ हुई। इस प्रक्रिया में राज्य/संघ शासित प्रदेश/केंद्रीय एजेंसियों से प्राप्त डेटा के संग्रह**,** समेकन**,** स्पष्टीकरण एवं मान्यकरण का कार्य किया गया।

क. राज्य/संघ शासित प्रदेशः

i. "भारत में अपराध" के लिए राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के वार्षिक आंकड़ों को **36** राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा एनसीआरबी द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के माध्यम से निर्धारित प्रोफॉर्मा में प्रस्तुत किया गया है।

ii. इसी तरह का डाटा संबंधित राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो/ अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के द्वारा **53** महानगरों के लिए तैयार किया गया है। (वे महानगर जिनकी जनसंख्या **2011** की जनगणना के अनुसार **10** लाख या उससे अधिक है)। तथापि उन **19** महानगरों से संबन्धित डाटा को ही हार्डकॉपी में प्रकाशित किया जा रहा है जिनकी जनसंख्या **20** लाख से अधिक है। फिर भी**,** शेष **34** महानगरों का डाटा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।

iii. दिल्ली यूटी में दिल्ली शहर एवं दिल्ली का ग्रामीण क्षेत्र दोनों शामिल है।

iv. डाटा की प्रविष्टि राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा थाने/जिला स्तर पर की जाती है।

v. प्रत्येक वर्ष कार्यरत कार्मिकों (सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश के पुलिस आरक्षक**,** मुख्य आरक्षक**,** सहा. उप निरीक्षक**,** उप निरीक्षक) को इनपुट टेबल में डाटा की प्रविष्टि से संबंधित विभिन्न बातों को स्पष्ट करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

vi. जिला/राज्य स्तर डाटा का समेकन राज्य पुलिस एजेन्सियों (एससीआरबी/सीआईडी) द्वारा किया जाता है।

vii. पहले स्तर का मान्यकरण थाने/जिला स्तर पर डाटा कैप्चरिंग के दौरान ही कर लिया जाता है। दूसरे स्तर का मान्यकरण राज्य पुलिस द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एप्लिकेशन के माध्यम से राज्य पुलिस के द्वारा जिले के डाटा के समेकन के समय किया जाता है।

viii. एनसीआरबी के स्तर पर डाटा में विसंगति/असंगति की छानबीन की जाती है**,** जिसके पाये जाने पर संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश को सत्यापन के लिए प्रेषित कर दिया जाता है।

ix. यदि डाटा में कोई संशोधन/परिशोधन हो तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा उसे डाटाबेस में सम्मिलित कर लिया जाता है।

ख. केंद्रीय विधि प्रवर्तन एजेंसियाँ/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलः

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम**,** प्रत्यक्ष कर अधिनियमन**,** सीमा शुल्क अधिनियम**,** एनडीपीएस अधिनियम आदि के तहत केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (असम राइफल**,** सीमा सुरक्षा बल**,** केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल**,** केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल**,** भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल) और संबंधित केन्द्रीय विधि प्रवर्तन एजेंसियों (अर्थात् सीबीआई**,** केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड**,** डीआरआई**,** स्वापक नियंत्रण ब्यूरो**,** एनआईए**,** और केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड) द्वारा जब्तियों एवं अभियोजनों के विवरण का प्रेषण किया जाता है**,** इससे संबन्धित आकड़ों को क्रमशः अध्याय 20 सी और अध्याय 20 डी में प्रकाशित किया गया है।

ग. एनसीआरबी में संकलनः

i. महानगरों सहित सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से डाटा प्राप्त होने के बाद**,** अखिल भारतीय आंकड़ों को एनसीआरबी द्वारा तैयार किया जाता है।

ii. "भारत में अपराध" प्रकाशन की राष्ट्रीय स्तर की तालिकाओं को एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से तैयार किया जाता है तथा किसी विसंगति को देखने हेतु फिर से उनकी जांच की जाती है।

iii. यदि कॉलम में किसी गणना का प्रयोग किया गया है तो उसे तालिका के निचले भाग में दर्शाया गया है।

ख. वर्तमान प्रकाशन के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली (2023)

क. मुख्य अपराध नियम:

अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार**,** ब्यूरो**,** अपराध की गणना के लिए 'मुख्य अपराध नियम' का पालन करता है। दूसरे शब्दों में मुख्य अपराध नियम का तात्पर्य**,** प्रत्येक आपराधिक घटना को एक अपराध के रूप में दर्ज करने की प्रणाली से है। यदि एक ही प्राथमिकी में अपराध के कई मामले दर्ज किए जाते हैं**,** तो उनमें से केवल सबसे जघन्य अपराध**;** यानि अधिकतम सजा के प्रावधान वाले अपराध को ही गणना की इकाई माना जाएगा।

a. जनसंख्या

क्रम सं.	खंड	स्रोत	जनसंख्या का वर्ष
1.	**आईपीसी एवं एसएलएल**	जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट जुलाई,2020, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	राज्य/यूटी की 2023 की अनुमानित जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)
2.	**महिलाएं**	जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट जुलाई,2020, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	राज्य/यूटी की 2023 की अनुमानित जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)
3.	**बच्चे**	भारत के महापंजीयक	2011 की वास्तविक जनसंख्या
4.	**वरिष्ठ नागरिक**	भारत के महापंजीयक	2011 की वास्तविक जनसंख्या
5.	**अनुसूचित जाति**	भारत के महापंजीयक	2011 की वास्तविक जनसंख्या
6.	**अनुसूचित जनजाति**	भारत के महापंजीयक	2011 की वास्तविक जनसंख्या
7.	**महानगर**	भारत के महापंजीयक	2011 की वास्तविक जनसंख्या

(राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और महानगरों की जनसंख्या का ब्यौरा पृष्ठ viii पर दिया गया है)

b. दर्ज प्राथमिकी हेतु शब्दावली

पंजीकृत प्राथमिकी की संख्या को इंगित करने के लिए 'दर्ज मामले', 'रिपोर्ट किए गए मामले', 'मामलों की संख्या', 'अपराधों की संख्या', 'घटनाओं की संख्या', 'घटनाओं' जैसी शब्दावली का प्रयोग रिपोर्ट में आवश्यकतानुसार किया जाता है।